



# राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय

## अलीगढ़ (उ.प्र.)

### यात्रा भत्ता देयक

बजट शीर्षक .....  
बाउचर सं०.....

1. नाम (स्पष्ट अक्षरों में).....
2. पद और पता .....
3. स्थायी खाता संख्या (PAN) .....
4. मूल वेतन ..... ग्रेड पे. (Grade Pay) .....
5. यात्रा का उद्देश्य .....
6. विश्वविद्यालय कार्य की तिथि .....

यात्रा विवरण						यात्रा का विवरण - रेल भाड़ा यात्रा का विवरण - रेल भाड़ा यात्रा का विवरण - रेल भाड़ा	वास्तविक रेल भाड़ा	अनुषागिक व्यय	सड़क यात्रा व्यय	ठहरने का भत्ता				
प्रस्थान			आगमन				धनराशि	रेल किलोमीटर	धनराशि	रेल किलोमीटर	धनराशि	कुल धनराशि		
स्टेशन	तिथि	समय	स्टेशन	तिथि	समय									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट : यात्रा देयक प्रपत्र स्वयं यात्राकर्ता द्वारा भरा जाय।

- प्रमाणित किया जाता है कि इस पावना पत्र में जिस श्रेणी के यात्री की मांग की गई है मैंने उसी श्रेणी में वास्तव में यात्रा की है, पावना-पत्र में जिस यात्रा का विवरण दिया है वह लाभ का साधन नहीं है और उसके लिए भाड़े में किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं हुई थी।
- यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यात्रा सबसे कम दूरी वाले मार्ग से की गई है एवं चिल प्रथम बार प्रस्तुत किया जा रहा है।
- ए.सी. द्वितीय श्रेणी में यात्रा के यदि अधिकारी हैं तो टिकट की आयाप्रति संलग्न करने पर ही भुगतान संभव होगा। अन्यथा नियमानुसार यात्रा का भुगतान किया जाएगा।

मैंने इस यात्रा देयक के मद में रु. .... प्राप्त किया।

रु. 1.00  
का रसीदी  
टिकट

प्रमाणित किया जाता है कि इन्होंने दिनांक ..... की बैठक में भाग लिया/प्रवेश कार्य किया और यह उनका प्रथम देयक है।	रु0.....भुगतान किया जाय।
सहायक/उप कुलसचिव	लेखाकार
पूर्ण लेखा परीक्षण किया। मात्रा रु0..... के भुगतान/समायोजन की संस्तुति की जाती है।	चैक सं0.....दिनांक ..... द्वारा रु0.....का भुगतान किया गया। यात्री का पावना भत्ता पंजिका में अंकित किया। पृष्ठ ..... क्रम सं0.....दिनांक ..... लेखा सहायक

अ०/वाह्य लेखा परीक्षक

अधीक्षक

लेखाकार

## यात्रिक भत्ते के नियम

विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्य परिषद् एवं अन्य समितियों के मदस्यों, चयन समितियों के विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों, अनुमोदन कर्ताओं एवं सारणीयकों आदि को राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान यात्रा-भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

### दैनिक भत्ता

क्र.	मूल वेतन	प्रथम श्रेणी कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद	द्वितीय श्रेणी मुरादाबाद, अलीगढ़, झाँसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, पिंजीपुर, शाहजहांपुर, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद	तृतीय श्रेणी माघारण दर <sup>(सत्र्य-3 तथा 4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए)</sup>	अनुष्टुप्पिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	रु. 8700 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	465	375	300	35 पैसे प्रति किमी.
2.	रु. 7600, 6600 तथा रु. 5400	420	330	270	35 पैसे प्रति किमी.
3.	रु. 4800 व 4600	360	285	240	25 पैसे प्रति किमी.
4.	रु. 4200 तथा रु. 2800	300	240	195	25 पैसे प्रति किमी.
5.	रु. 2800 से कम	195	150	120	15 पैसे प्रति किमी.

### सङ्केत भत्ता -

- मोटर कार, जीप, कार, टैक्सी से की गई सङ्केत यात्राओं के लिए -

क्र.	विवरण	पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
1.	प्रथम 500 किमी. तक तय की गई दूरी	रु. 10.00	रु. 7.50
2.	500 किमी. से अधिक परन्तु 1200 किमी. तक तय की गयी दूरी	रु. 07.00	रु. 5.50

- कार, टैक्सी, जीप आदि से यात्रा करने के लिए कुलपति/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।
- स्कूटर, मोटर साइकिल आदि से यात्रा रु. 5.00 प्रति किमी. इस प्रतिबंध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिए रु. 1,000.00 से अधिक की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
- सङ्केत भत्ता - यात्रा पर जाते समय तथा गंतव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच तय को जाने वालों अल्प दूरी की यात्राओं के लिए समस्त सरकारी सेवकों को रु. 10.00 प्रति किमी. की दर से सङ्केत मील भत्ता ग्राह्य होगा।